

भारत सरकार

कार्यालय

आयकर आयुक्त, जयपुर-६

जयपुर

विषय :- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 अ (अ) के अधीन न्यास/संस्थाओं का पंजीकरण

वाटसल्य (वाटसल्य सोसायटी)

23 अरविन्द पार्क, गैंगरी, जयपुर

जो दिनांक 10/7/1995 को न्यास विलेख/मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन द्वारा गठित है, दिनांक 26/6/2001 को निर्धारित प्रपत्र में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 अ (अ) के अधीन पंजीकरण के लिए प्रार्थना-पत्र दिया है जो कि निर्धारित समय में है। दिन विलम्ब होने पर भिदाद बाहर था। न्यास/संस्था द्वारा प्रार्थना-पत्र देर से प्रस्तुत करने के कारण समुचित होने से देर को माफ किया जाता है।

प्रार्थना-पत्र देरी से प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण नहीं बताया गया है, अतः इसे न्याय्य किया गया है।

पंजीकरण दिनांक 01-04-2001 से माना जावेगा।

(2) प्रार्थना-पत्र की धारा 12 अ (अ) के तहत इस कार्यालय के प्रार्थना-पत्रों के रजिस्टर में संस्था न्यास/संस्था 4/7 4/17 में दर्ज कर लिया गया है।

(जी. पी. के. मन्सेना)  
आयकर आयुक्त, आयकर-आयुक्त, जयपुर  
जयपुर (राज०)

क्रमांक : आ. आ. (न्यास) धारा 12 अ (अ) / 30/2001-02 / 94/6

दिनांक 10/2/2002

वाटसल्य (वाटसल्य सोसायटी)

प्रेषित : 23 अरविन्द पार्क, गैंगरी

जयपुर

1. आयकर अधिकारी, वार्ड 6 (2) जयपुर

को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित।

2. श्रीमान् अपर आयकर आयुक्त, जयपुर को सूचनाएं।

(जी. पी. के. मन्सेना)  
आयकर अधिकारी, आयकर-आयुक्त, जयपुर  
जयपुर (राज०)